POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 04.06.2026

1.थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा 'ऑनलाइन बेटिंग' बैवसाइट एवं एप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 लैपटॉप, 26 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड सहित अन्य दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 04.06.2026 को थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से 'ऑनलाइन बेटिंग' एप व बेवसाइट के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 04 अभियुक्तगण 1. साई कुमार पुत्र राजेश 2. पंडाला सतीश पुत्र पंडाला सत्यनारायण 3. पांडुरंगा पुत्र कोण्डाराव 4. उदयकुमार पुत्र सुब्रमण्यम को सेक्टर-79 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 03 लैपटॉप, 26 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 03 वाई-फाई राउटर, 05 एटीएम कार्ड, 02 पैन कार्ड एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। जांच में लैपटॉप एवं मोबाइल में मिले डाटा तथा "लक्ष्मी ट्रेडर्स" नामक खाते के माध्यम से लगभग ₹2.4 करोड़ के संदिग्ध ऑनलाइन लेन-देन एवं विभिन्न व्यक्तियों से की गई साइबर ठगी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तगण द्वारा एक संगठित गैंग बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन प्रसारित किए जाते थे तथा ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट www.vlbook247.co एवं एप के माध्यम से आमजन को पैसे दोगुने करने का लालच देकर उन्हें ठगी का शिकार बनाया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. साई कुमार पुत्र राजेश निवासी मियापुर, थाना मियापुर, हैदराबाद (तेलंगाना) वर्तमान पता सेक्टर-79, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर, उम्र-25 वर्ष, शिक्षा-10वीं।
2. पंडाला सतीश पुत्र पंडाला सत्यनारायण निवासी ग्राम कुमुदबल्ली, थाना पाला कुडेरु, बेस्ट गोदावरी (आंध्रप्रदेश) वर्तमान पता सेक्टर-79, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर, उम्र-31 वर्ष, शिक्षा-12वीं।
3. पांडुरंगा पुत्र कोण्डाराव निवासी ग्राम भीमा वरम, थाना वनटाउन, बेस्ट गोदावरी (आंध्रप्रदेश) वर्तमान पता सेक्टर-79, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर, उम्र- 22 वर्ष, शिक्षा-10वीं।
4. उदयकुमार पुत्र सुब्रमण्यम निवासी गाजुला पालम, थाना अर्बन, गुंटूर वर्तमान पता सेक्टर-79, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 19 वर्ष, शिक्षा-12 वीं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 206/2026 धारा 111,318(4) बीएनएस व 66-D आईटी एक्ट, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 03 लैपटॉप
2. 26 मोबाइल फोन
3. 20 सिम कार्ड, 05 एटीएम कार्ड, 02 पैन कार्ड
4. 03 वाई-फाई राउटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

2.थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तों द्वारा आए दिन रेस्टोरेंट संचालकों व ठेले वालों को डरा-धमकाकर प्रति महीने 20-25 हजार रुपये की रंगदारी की मांग की जाती थी, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नॉलेज पार्क पर मु0अ0सं0 119/2026 धारा 308(5)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 04.06.2026 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट व ठेलों वाले से हर माह रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त 1. मोनिन्द्र पुत्र महरचन्द 2. नरेन्द्र पुत्र महरचन्द सेक्टर-150 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त मोनिन्द्र के विरुद्ध वर्ष 2025 में गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. मोनिन्द्र पुत्र महरचन्द निवासी गढ़ी समस्तीपुर, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
2. नरेन्द्र पुत्र महरचन्द निवासी गढ़ी समस्तीपुर, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 143/2024 धारा 115(2)/191(2)/333/351(2)/352 बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 159/2025 धारा 110/115(2)/191(2)/333/351(2)/352 बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 056/2025 धारा 191(2)/191(3)/351(2)/352 बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 119/2026 धारा 308(5)/352/351(2) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

3.थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 04.06.2026 को थाना सैक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त सुल्तान पुत्र कुरैश अहमद को सैक्टर 37 बस स्टैण्ड के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का विवरण-- वादिया/पीडिता द्वारा थाना सेक्टर 39 पर प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना दी कि प्रतिवादी सुल्तान द्वारा वादिया (जो रिश्ते में सुल्तान की चाची है) का फोटो फर्जी तरीके से अपने पासपोर्ट में पत्नी के रूप में प्रयोग करना तथा उसे वायरल करने व जान से मारने की धमकी देकर वादिया के जेवरात ले लेना।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. सुल्तान पुत्र कुरैश अहमद निवासी गांव संग्रामपुर रायमल डाकखाना फुलवरिया थाना फुलवरिया जिला गोपालगंज बिहार हालपता ग्राम सलारपुर थाना सै0 39 नोएडा उम्र करीब 33 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 494/2025 धारा 77,308(2),351(3),318(4) बीएनएस व 12 बी पासपोर्ट थाना सैक्टर 39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।